

## कार्यालय आदेश

बियाडा के निदेशक पर्सद की 45वीं बैठक दिनांक 11.06.14 के कार्यावली संख्या 03 में औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन हेतु बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित भूआवंटन नीति व प्रक्रिया ज्ञापांक 5390 दिनांक 19.12.2013 को लागू करते हुए इसके कुछ बिन्दुओं को निम्नांकित प्रकार से क्रियान्वित कराने का निर्णय लिया गया है:-

1. भूआवंटन नीति व प्रक्रिया ज्ञापांक 5390 दिनांक 19.12.2013 की कड़िका 4.3 के संबंध में प्रत्येक वर्ग के लिये पी.सी.सी. विभिन्न मापदण्डों के लिये विभिन्न अधिसीमा को भारिता देने की अनुशंसा करेगी।

पी.सी.सी. Percentile Basis पर मापदण्डों के लिये मानक निर्धारित करने की अनुशंसा कर सकती है। नई प्रक्रिया के आलोक में आवेदन प्राप्त करने के बाद ही इस संबंध में अंतिम निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जा सकेगा। चूँकि नए दर पर आवेदन प्राप्त किया जायेगा।

2. दिनांक 31.10.2013 तक भूआवंटन हेतु प्राप्त आवेदनों पर निर्णय के उग्रांत निवेशकर्ता के आवेदन की तिथि पर दी जाने वाली 10% अंक को निवेशकर्ता के अनुभव में जोड़ दिया जायेगा अर्थात् निवेशकर्ता के अनुभव का अंक 20% होगा।

प्रबंध निदेशक का आदेश

दिनांक 18.06.2014

ह0/-

सचिव।

ज्ञापांक:-...../

दिनांक:-.....

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


ह0/-

सचिव।

ज्ञापांक:-.....3194...../

दिनांक:-.....19.06.14.....

प्रतिलिपि :- सचिव, बियाडा/ मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी, बियाडा/ कार्यकारी निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय पटना/भागलपुर/दरभंगा/मुजफ्फरपुर/ परामर्शी विधि, बियाडा/ परामर्शी आई.टी. बियाडा/ प्रबंध निदेशक के विशेष सहायक, बियाडा पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सचिव।